



**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून।**
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य की सीलिंग कार्यवाही हेतु)

पत्रांक:- 8557/वाद संख्या सी-1060/एस-1/2021

दिनांक 22-2-2024

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है मौ0 हलीम, हरिद्वार वाईपास रोड, ब्राह्मणवाला, देहरादून द्वारा हरिद्वार वाईपास रोड, राधास्वामी संतसंग भवन के सामने, देहरादून में भूतल पर लगभग 12 फिट गुणा 30 फिट क्षेत्रफल में 01 दुकान का अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने पर उत्तराखण्ड (उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करते हुए सी-01060/एस-1/2021 योजित किया गया। जिसमें दिनांक 02.02.2023 सील आदेश पारित किये गये। जिसे दिनांक 27.04.2023 को सील किया गया था। परन्तु क्षेत्रीय अभियन्ता की स्थलीय रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 अनुसार की गयी सील क्षतिग्रस्त पायी गयी। दिनांक 01.02.2024 को सील किया जाना था परन्तु पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण सील की कार्यवाही नहीं हो पायी। जिसे दिनांक 26/2/24 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को चालान शुद्धा निर्माण को सील की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(Signature)
अधिशारी अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि-

1-जिलाधिकारी महोदय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि को उक्त कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।

2-पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि उक्त तिथि को कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुए पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3-सम्बन्धित थानाध्यक्ष, पटेलनगर, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ताओं/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को उक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5- मौ0 हलीम, हरिद्वार वाईपास रोड, ब्राह्मणवाला, देहरादून को सील आदेश दिनांक 02.02.2023 पत्रांक 3744 के क्रम में सरकारी सम्पत्ति निर्माण पर लगायी गयी सील को क्षतिग्रस्त करने जैसे कृत्य कानूनन दण्डनीय अपराध है। जिसे पुनः उक्त तिथि को सील किया जाना है।

6-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को दो वाहन एवं सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(Signature)
अधिशारी अभियन्ता/ पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

(Signature)

